

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रदीप विधानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 85 / 2023</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12-04-23</p>	<p>अपीलार्थी प्रदीप विधानी पुत्र नानकराम विधानी निवासी बी-37, उम्मेद क्लब रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.01..2023 में (1) जिला कलक्टर जोधपुर को महिपाल कुमार, विषेधाधिकारी एम.के, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर से पत्र क्रमांक मुमं/विशेषा/एमके/प-2/कले/जोधपुर/22/5458 दिनांक 07.10.2022 को पत्र भेजा गया था, उपरोक्त पत्र प्राप्त होने से आज दिनांक तक क गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 447 दिनांक 06.04.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 238 दिनांक 22.02.23 द्वारा कूल 02 पृष्ठों की प्रमाणित सूचना निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	